R.M.M. Law College
Saharsa [illegible]

Arvindra Kumar Trivedi
Part Time Law Teacher
Subject Evidence
Part-III ...

साक्ष्य अधिनियम धारा 1872 के
ऐसे कथन जिनकी प्रस्तुति की स्वीकृति न्यायालय
साक्षियों को देता है जो विचाराधीन जांच के
लिये सम्बन्ध है साक्ष्य कहलाते हैं। वहीं
सभी दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष निरीक्षण
के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं शब्दपत्र
दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है।
अर्थात् के व्यावहारिक शब्दकोष के साक्ष्य का
अर्थ उन लिखित तथ्यों को कहते हैं,
जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध अथवा
असिद्ध करने का प्रयास किया जाय।
किसी बात को प्रकाशित करने के लिये
न्यायालय के तर्क उपस्थित किया जाता है
वह साक्ष्य के अंतर्गत माना जाता है।
मौखिक साक्ष्य जो न्यायालय में अभिव्यक्त
किया जाता है धारा - 51 से धारा 60 का
उल्लेख किया गया है। उसी तरह दस्तावेजी
साक्ष्य 61, 62, 63 में उल्लेख किया गया है
मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य
न्यायालय को मान्यता देने के लिये होती है।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो साक्ष्य
न्यायालय के आता है अपने विचार आधारित
होता है। न्यायालय को परीक्षण और अवलोकन
के आधार पर वास्तविक साक्ष्य के लिए है

Scanned with CamScanner

माना जाता है। कभी कभी मौलिक दस्तावेज नष्ट
हो जाता है तब न्यायालय उक्त दस्तावेज का
प्रतिलिपि से भी काम ~~चला~~ का उपयोग में
ला सकता है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने
उक्त दस्तावेज को देखा है तब उसे गौण साक्ष्य
माना जायेगा और उसकी मान्यता रहेगी।
अधिनियम 25 के अन्तर्गत पुलिस की कोई
संस्वीकृति होती है तो उसे धारा 26 के अन्तर्गत
उसकी मान्यता नहीं होती है। जबकि
वही पुलिस के डर से भी ऐसी हो सकती है,
वही साक्ष्य अधिनियम के मजिस्ट्रेट के सामने हुई
तो उसे सही माना जायेगा।